B.Com II (H) Sub- Corporate Accounting
(Meaning & Definition of a company)

Q:→ Meaning and Definition of a Company. Essential Features or characteristics of a company

Ans:→ सामान्यतया 'संयुक्त पूँजी वाली कम्पनी' या कम्पनी का आशय किसी सामान्य उद्देश्य के लिए निर्मित व्यक्तियों के एक ऐसे संघ या संस्था से है जिसकी पूंजी अंशों में विभाजित रहती है। वास्तव में कम्पनी एक कृत्रिम व्यक्ति होती है जिसकी स्थापना कानून या अधिनियम के अन्तर्गत होती है।

प्रो० एल एच हैने (Prof L.H. Haney) के अनुसार, "संयुक्त पूँजी कम्पनी लाभ के लिए बनाई गयी व्यक्तियों की एक ऐच्छिक संस्था है जिसकी पूँजी उन हस्तान्तरणीय अंशों में विभाजित रहती है जिनका स्वामित्व सदस्यता की शर्त होती है"

न्यायाधीश मार्शल के अनुसार, "संयुक्त पूँजी कम्पनी एक कृत्रिम, अदृश्य तथा अमूर्त संस्था है जिसका वैधानिक अस्तित्व होता है और जो विधान द्वारा निर्मित होती है।"

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (20) के अनुसार 'कम्पनी का आशय इस अधिनियम के अन्तर्गत समामेलित (अथवा निबन्धित) कम्पनी अथवा ऐसी विद्यमान कम्पनी से है जिसका निर्माण या निबन्धन पिछले कम्पनी अधिनियमों में से किसी के अधीन किया गया हो"

इस प्रकार, कम्पनी या निगम कानून द्वारा निर्मित एक अदृश्य, अमूर्त एवं कृत्रिम व्यक्ति है जिसका अविच्छिन्न उत्तराधिकार, अपनी सार्वमुद्रा एवं सदस्यों से पृथक अस्तित्व होता है।

Essential Features or Characteristics of a company:→

संयुक्त पूँजी कम्पनी की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:→

(1) ऐच्छिक संस्था (Voluntary Association of Persons):
कम्पनी व्यक्तियों की एक ऐच्छिक संस्था है। कोई भी कानून व्यक्तियों को कम्पनी बनाने अथवा उसका सदस्य बनने के लिए बाध्य नहीं कर सकता।

(2) कृत्रिम व्यक्ति (Artificial Person) – कम्पनी कानून द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है।

(3) पृथक वैधानिक अस्तित्व (Separate Legal Entity):– कम्पनी का पृथक वैधानिक अस्तित्व

Scanned with CamScanner

होता है। कम्पनी अपने नाम से सम्पत्तियों का क्रय-विक्रय कर सकती है, अपने नाम से बैंक में खाता खोल सकती है और अपने नाम से मुकदमा कर सकती है। इसका अपने सदस्यों से पृथक अस्तित्व होता है तथा सदस्यों के आने-जाने से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

(4) सीमित दायित्व (Limited Liabilitys) – सामान्यतः कम्पनी के सदस्यों का सीमित दायित्व होता है। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक सदस्य का दायित्व उसके द्वारा खरीदे गये अंशों के अंकित मूल्य तक सीमित होता है।

(5) स्थायी अस्तित्व (Perpetual succession):- कम्पनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जो कभी नहीं मरता। कम्पनी का जीवन उसके अंशधारियों के जीवन पर निर्भर नहीं होता। कम्पनी का निर्माण विधान द्वारा होता है। अतः इसका समापन भी विधान के प्रावधानों के अनुसार ही होता है।

(6) सार्वमुद्रा (Common Seal):- प्रत्येक कम्पनी की एक सार्वमुद्रा होती है जो कम्पनी के हस्ताक्षर का काम करती है। संचालकों द्वारा तैयार किये गये प्रलेखों को कम्पनी का प्रलेख उस समय तक नहीं माना जाता जब तक उस पर सार्वमुद्रा अंकित नहीं होती।

(7) अंशों की हस्तान्तरणीयता (Transferability of shares) – कम्पनी के अंश हस्तान्तरणीय होते हैं। एक सदस्य कम्पनी के अंशों को सुगमता पूर्वक किसी दूसरे व्यक्ति को हस्तान्तरित कर सकता है।

(8) प्रबन्ध तथा स्वामित्व का अलग होना (Seperation of ownership and Management):- कम्पनी का स्वामित्व इसके अंशधारियों के हाथों में होता है जबकि इसका संचालन कम्पनी के सदस्यों द्वारा चयनित निदेशकों के समूह द्वारा किया जाता है। कम्पनी के सदस्य सीधे कम्पनी के प्रबन्धन में भाग नहीं ले सकते।

Dr Jagdish Pd Baishandi
Deptt of Commerce
Dr L.K.V.D. College Tajpur
Date. 27/7/2020

Scanned with CamScanner